

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 1034-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 23-12-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 594/अपील/12-13.

राकेश बाबू आत्मज वल्लभ जी  
निवासी ग्राम दौलतपुर  
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक, भोपाल

.....प्रत्यर्थी

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 9/2/17 को पारित )

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर के निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत टीप के पालन में उप पंजीयक, भोपाल द्वारा दस्तावेज कलेक्टर आफ स्टाम्प, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/ब-103/03-04/48-ख दर्ज कर दिनांक 11-10-2007 को आदेश पारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 1,22,995/- एवं अर्धदण्ड रूपये 5000/- जमा करने के आदेश अपीलार्थी को दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष

प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23-12-15 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा मुख्तयारआम को केवल विक्रय पत्र पंजीयन के अधिकार दिये गये थे, जिसमें क्रेता का भी नाम स्पष्ट उल्लिखित किया गया था । अर्थात् मुख्तयारआम को प्रश्नाधीन सम्पत्ति विक्रय किये जाने के अधिकार नहीं दिये गये थे केवल विक्रय पत्र निष्पादन के अधिकार दिये गये थे, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प को दस्तावेज निष्पादन के 5 वर्ष की अवधि के भीतर कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा 5 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात कार्यवाही की गई है, जो कि अवधि बाह्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा म0प्र0 लिखितों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के सिद्धांतों का पालन भी नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने में अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर के निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, और अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के विधिसंगत आदेश की पुष्टि


*ccert*

*ajg*

की गई है, जो कि अपने स्थान पर पूर्णतः उचित कार्यवाही है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-15 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण क्रमांक अपील 1035-पीबीआर/16 (राकेश बाबू आत्मज वल्लभ जी विरुद्ध म0 प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक ) में भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये ।



( मनोज गोयल )

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर